विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-33 का उत्तर।

33 (क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड- गोंदलामऊ के अन्तर्गत ग्राम-निमतापुर में हिरकरन के मकान से लटतू रैदास के मकान (आर0सी0सी0 रोड) तक की दूरी जो लगभग 200मी0 है का मार्ग बहुत ही खराब है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है?	ग्राम पंचायत निमतापुर में हिरकरन के मकान से ललतू रैदास के मकान तक (आर०सी०सी० रोड) की दूरी जो लगभग 200 मी० है, जिसके निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपये की धनराशि व्यय होगी। एक वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को पंचम वित्त आयोग में रु० 6,30,590.00 मात्र व केन्द्रीय वित्त आयोग में रु0 7,45,790.00 मात्र की धनराशि प्राप्त होती है। इसमें से पंचायत सहायक मानदेय प्रतिवर्ष रु0 72,000.00, ग्राम प्रधान मानदेय प्रति वर्ष रु0 60,000.00, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर मानदेय रु0 1,08,000.00 एवं गौशाला केयर टेकर मानदेय प्रतिवर्ष लगभग रु0 4,26,600.00 की धनराशि व्यय होती है। इसके अतिरिक्त अवशेष धनराशि से ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी भवन एवं अन्य परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा नाली, खड़ण्जा, पेयजल, प्रकाश एवं वृक्षारोपण आदि मूलभूत आवश्यकताओं पर भी धनराशि का व्यय किया जाता है। अतः ग्राम पंचायत कुशौली को पर्याप्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण ग्राम निमतापुर में हिरकरन के मकान से ललतू रैदास के मकान तक (आर०सी०सी० रोड) की दूरी जो लगभग 200 मी0 है, का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलॉकिंग मार्ग का निर्माण करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

ओम प्रकाश राजभर
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।